काम के अनुसार मजूरी देना

*354. **श्री विभूति मिश्र :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मजदूरों को उनके काम के अनुसार मजूरी देने की कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). चूंकि परिस्थितियां एक उद्योग में दूसरे उद्योग से भिन्न है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट योजना नही बनाई गई है। तथापि उजरती दर प्रणाली, जिसके अन्तर्गत श्रम को किए गए काम से जोड़ा जाता है, पहले से ही कई उद्योगों, प्रतिष्ठानों में चालू है।

Maintenance of 'Set on and set off' Accounts by Indian Tobacco Company Ltd., Saharanpur

*355. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Indian Tobacco Company Ltd., Saharanpur (U.P.) has failed to maintain the 'Set on' and 'Set off' Accounts as required by the Payment of Bonus Act;

(b) whether the said Company has adopted 'Calendar Year' instead of the 'Financial Year' for the payment of Bonus with a view to circumvent for real profits earned by the said company; and

(c) if so, what setps are taken to ensure the effective implementation of the Payment of Bonus Act?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) to (c). The subject matter primarily falls in the State sphere. Information which is within the jurisdiction of the State Government, is however being collected.

काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के के रूप में मानना

*356. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या गत 9 फरवरी को दिल्ली में अभिलेखों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाए जाने का आग्रह किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) क्या माननीय सदस्य का आशय सभवत: भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1973 को राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्वतन्त्रता सन्ग्राम से सम्बन्धित प्रलेखों की प्रदर्शनी का उदघाटन करते समय दिए गए भाषण से है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि —

> "रहने और काम पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक और मूलभूत है। हम अपने संविधान तथा अपनी प्रतिज्ञाओं द्वारा इन अधिकारों को अपनी साधारण जनता के लिए वास्तविक बनाने के लिए वचनबद्ध हैं।"

(ख) राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में काम पाने का सिद्धान्त पहले ही दिया गया है। इसमें निदेश दिया गया है कि "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।" संविधान में दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार को उच्च प्राथमिकता दी गई है और अधिकाधिक रोजगार अवसर जुटाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे है.

कलकत्ता , उच्च न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की कतिपय धाराओं का रद्द किया जाना

*357. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की कतिपय धाराओं को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे औद्योगिक विवादों को सुलझाने मे सरकार को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एकमात्र न्यायाधीश के निर्णय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2क को नाजायज ठहराया है।

(ख) और (ग). कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एकमात्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। भारत सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है।

Overtime as part of pay under Payment of Wages Act

*358. SHRI ISHAQUE SAMBHALI: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Overtime is a part of pay and comes under Payment of Wages Act;

(b) whether Overtime has not been paid to some Assistant Station Masters of Delhi Division; and

(c) if so, what action has been taken by the labour Department for violation of the Payment of Wages Act by the Railway Administration?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). It is understood from the Railway Administration that overtime admissible under the extent rules has already been paid to the Assistant Station Masters of the Delhi Dvision upto 11-11-1972. As regards overtime for the period after 11-11-1973 action is in hand and payment will be made shortly.

Power cut in Defence Units

*359. PROF NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether in the States of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan and Union Territories of Chandigarh and Delhi, the power cut has been applied in the months of December 1972 and January and February, 1973 to the Defence units also;

(b) the names of the Defence units affected and whether this will greatly harm the Defence measures;

(c) if so, whether Government of India has directed the State Governments not to apply power cut to the Defence units in their respective States; and

(d) if so, the reaction of the State Governments concerned?